



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/16 23

रायपुर, दिनांक 31/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्राजेक्ट फेस-2 के तहत भूमिगत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/42358/2019

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-08/ 2020/ 10-2 दिनांक 19.08.2020

= 0 =

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रकरण में ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन 3 बिन्दुओं पर विरोधाभास के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु लेख किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में टंकण त्रुटिवश ऐसी स्थिति निर्मित हुए है। अतएव वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक: 1 प्रकरण का विषय महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत 5.923 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक: 2 चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक- 18 अनुसार आवेदित क्षेत्र के लिए कलेक्टर महासमुन्द द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2020 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 74 एवं 75 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक: 3 चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक- 19 अनुसार आवेदित क्षेत्र के लिए कलेक्टर महासमुन्द द्वारा राजस्व वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 08.01.2020 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 76 एवं 79 में संलग्न है।

उपरोक्तानुसार संदर्भ पत्र के प्रेक्षा अनुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध है।

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-08/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक /08/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/1336, दिनांक 08.07.2020 ।

—00—

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र (ऑफलाइन) को Parivesh Portal में ऑनलाईन अपलोड किया गया है। उपरोक्त ऑनलाईन एवं ऑफलाइन दोनों पत्रों में निम्नानुसार विरोधाभास है :-

क्र	पत्र में उल्लेखित विरोधाभासी बिंदु	ऑनलाईन अपलोड किये गये पत्र में उल्लेख	ऑफलाइन प्रेषित पत्र में किया गया उल्लेख
1	विषय	Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II <u>Dhamtari</u> "Bharat Net project which is a GoI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - <u>11.534</u> ha. regarding.	Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II <u>Mahasamund</u> "Bharat Net project which is a GoI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical Fiber cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - <u>5.923</u> ha. regarding
2	चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 18	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) :- आवेदित क्षेत्र के लिये <u>कलेक्टर बिलासपुर</u> द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक <u>25.11.2020</u> को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) :- आवेदित क्षेत्र के लिये <u>कलेक्टर महासमुंद</u> द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक <u>03.03.2020</u> को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

विविध-I (A)

क्र		ऑनलाईन अपलोड किये गये पत्र में उल्लेख	ऑफलाईन प्रेषित पत्र में किया गया उल्लेख
3	चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र :- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2914, दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र :- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महासमुंद के पत्र क्रमांक 067, दिनांक 08.01.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त प्रेषित प्रस्ताव ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों में विरोधाभास की स्थिति है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 19/08/2020

पृष्ठांकमांक एफ-5-08/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल, महासमुंद, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग